



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 198-2017/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, NOVEMBER 14, 2017 (KARTIKA 22, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 14 नवम्बर, 2017

संख्या 122/एसटी-2.— हरियाणा माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 54 की उपधारा (3) के परंतुक के खण्ड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 39/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 39/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में, सारणी में, क्रम संख्या 6क और उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

“6क	5608	डोरी, रज्जु या रस्सा के ग्रथित जाल, जो टैक्सटाइल सामग्री के विनिर्मित मत्स्यन जाल और अन्य विनिर्मित जाल हैं
6ख	5801	कॉर्डरॉय फेब्रिक
6ग	5806	संकीर्ण व्यूतित फेब्रिक, शीर्ष 5807 के माल से भिन्न; संकीर्ण फेब्रिक, जिसमें असांजक के माध्यम से समंजित बाना के बिना ताना है (बोल्डक्स)।”।

यह अधिसूचना 15 नवंबर, 2017 से लागू होगी।

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 14th November, 2017

No. 122/ST-2.— In exercise of the powers conferred by clause (ii) of the proviso to sub-section (3) of section 54 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No. 39/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

Amendment

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No.39/ST-2, dated the 30th June, 2017 in the TABLE, for serial number 6A and entries thereagainst, the following entries shall be substituted, namely: -

“6A	5608	Knotted netting of twine, cordage or rope; made up fishing nets and other made up nets, of textile materials
6B	5801	Corduroy fabrics
6C	5806	Narrow woven fabrics, other than goods of heading 5807; narrow fabrics consisting of warp without weft assembled by means of an adhesive (bolducs)”.

This notification shall come into force with effect from the 15th November, 2017.

SANJEEV KAUSHAL,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Excise and Taxation Department.